291

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा म.प्र.

अमरेन्द्र नाथ तनय हीरामणि चतुर्वेदी निवासी ग्राम बरिगवां तहसील देवतर जिला सिंगरौली म.प्र.

.....निगरानीकर्ता

बनाम

शासन म.प्र. ..गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय कलेक्टर जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक- 285/अ-74/2011-12 आदेश दिनांक 07.05.2012

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 ई.

माननीय,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्तगी के योग्य है ।

2. प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा उपबंदोवस्त अधिकारी जिला सीधी के राजस्व प्रकरण क्र. 192/अ-1/1998-99 धारा 57(2) म.प्र. भू राजस्व संहिता के आदेश दिनांक-17.11.1999 की इस्तलाबी न होने पर तहसीलदार तहसील देवतर के न्यायालय में इस्तलाबी कराये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार तहसील देवतर द्वारा पटवारी प्रतिवेदन मंगाया गया एवं उपबंदोवस्त अधिकारी का भी प्रकरण तलब किया गया पटवारी प्रतिवेदन में पटवारी ने उल्लेख किया कि खसरा वर्ष 1998 में रोस्टर के समय लिपकीय त्रुटि वश खसरे के

Xxxix(a)-BR(h)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ----------

प्रकरण कमांक.....1930–एक/2012 निगरानी . .जिला सिंगरोली

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषक के हस्ताक्ष
21-10-16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मॅजुला तिवारीं के तर्क पूर्व पेशी पर सुने जा चुके हैं। अनावेदक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। यह निगरानी कलेक्टर जिला सिंगरोली व्दारा प्रकरण कमांक 285 अ–74/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 07–05–2012 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार देवसर को प्रार्थना पत्र दिनांक 31–3–2010 के साथ उप बंदोवस्त अधिकारी सीधी के प्रकरण कमांक 192 A/अ–1/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 17–11–99 की प्रति प्रस्तुत कर मॉग की कि उप बंदोवस्त अधिकारी सीधी ने आदेश दिनांक 17–11–99 से ग्राम बरगवॉ की भूमि पुराना सर्वे नंबर 107 रकबा 5 एकड़ तथा सर्वे कमांक 105 रकबा 4.43 एकड़ पर भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किया है किंतु इस आदेश का अमल शासकीय अभिलेख में नहीं होने से भूमि शासकीय दर्ज है अतः शासकीय अभिलेख में उसके नाम भूमि इन्द्राज की जाय। तहसीलदार देवसर ने प्रकरण कमांक 69 अ–74/10–11 पंजीबद्व किया तथा प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ की तथा अंतरिम आदेश दिनांक 15–3–11 से निर्णय लिया कि लिपिकीय त्रृटि एक वर्ष से अधिक अवधि की होने से प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी देवसर के माध्यम से कलेक्टर सिंगरोली को भेजा जाय। अनुविभागीय अधिकारी देवसर ने अंतरिम आदेश दिनांक 8–7–11 से प्रकरण कलेक्टर सिंगरोली को अग्रेषित किया। कलेक्टर सिंगरोली ने तहसीलदार देवसर के प्रस्ताव दिनांक 15–3–11 पर से प्रकरण कमांक 285/अ–74/2011–12 पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 7–5–2012 से	

निर्णय लिया कि उप बंदोवस्त अधिकारी सीधी ने प्रकरण में कई अनियमिततायें करते हुये आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमियों को आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज अभिलेख करने की आज्ञा दिया जाना पाया जाता है । अतएव प्रकरण को निगरानी में लिया जाकर जॉच उपरांत संगत आदेश पारित किया जाना उचित होगा। अतएव उक्त प्रकरण जांच हेतु म0प्र0भू राजस्व संहिता की धारा 50 के तहत स्वमेव निगरानी का प्रकरण प्रथक से पंजीकृत किया जावे। प्रकरण दायरे सें समाप्त करते हुये निगरानी प्रकरण के साथ ही संलग्न किया जावे। कलेक्टर सिंगरोली के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्क दिया कि उप बंदोबस्त अधिकारी सीधी के प्रकरण कमांक 192 अ–1 / 1998–99 में पारित आदेश दिनांक 17–11–1999 के पालन का आवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया था, किन्तु तहसीलदार ने उप बंदोबस्त अधिकारी सीधी के आदेश दिनांक 17–11–1999 को संहिता की धारा 115,116 का आवेदन मानकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में भूल की गई है।

आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को के कम में तहसीलदार देवसर व्दारा कलेक्टर सिंगरोली को प्रकरण कमांक 67 अ–74 / 10–11 में भेजे गये प्रतिवेदन दिनॉक 15–3–11 का अवलोकन किया गया, जिस पर से कलेक्टर सिंगरोली ने उप बंदोवस्त अधिकारी सीधी के आदेश दिनांक 17–11–99 में की गई अनियमितताओं का अंकन करते हुये आदेश दिनांक 07–05–2012 से आवेदक के विरूद्व प्रथक से स्वमेव निगरानी दर्ज करने का निर्णय लिया गया है । विचार योग्य है कि क्या तहसीलदार देवसर ने प्रतिवेदन में उप बंदोवस्त अधिकारी सीधी के आदेश दिनांक 17–11–99 में की गई अनियमितताओं का विवरण दिया है ? तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 15–3–11 के पद 3 में इस प्रकार विवरण अंकित है :–

" **पटवारी हलका से प्रतिवेदन मॅगाया गया , पटवारी हलका के प्रतिवेदन अनुसार आ.क. 130 / 2.97 है. एंव आ.क. 287 / 3.26 है. आवेदक के पिता के नाम गैर हकदार कृषक की भूमि है, जिस पर आवेदक का पुस्तैनी कब्जा दखल चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजियात पर कोई वृक्ष इमारती लकड़ी नहीं है तथा वादग्रस्त आराजियात शासन के किसी भी प्रयोजन के लिये सुरक्षित नहीं है। खसरा वर्ष 1998–99 में रोस्टर के समय लिपिकीय**

Xxxix(a)-BR(h)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ----------

प्रकरण कमांक.....1930–एक/2012 निगरानी . .जिला सिंगरोली

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों ए अभिभाषको के हस्ताक्ष

त्रृटिवश खसरे के कालम नं. 3 में गोठान व चारागाह शब्द लिख दिया गया है। जबकि उक्त भूमि चारागाह के लिये सुरक्षित नहीं है। ''

तहसीलदार के प्रतिवेदन दि. 15–3–11 के पद 4 में इस प्रकार विवरण अंकित है :–

'' मेरे व्दारा मूल प्रकरण का अवलोकन किया गया, प्रकरण के अवलोकन से यह पाया गया कि वादग्रस्त आराजियात आवेदक के पिता के गैर हकदार स्वत्व की भूमि थी उनके मृत्यु के वाद सहायक बंदोवस्त अधि0 सीधी व्दारा अपने न्यायालयीन प्रकरण क. 92 अ–1/98–99 आ.दि. 17–11–99 को वादग्रस्त आरजियात का पटटा गैर हकदार के बजाय भूमिस्वामी स्वत्व घोषित किया गया है लेकिन उक्त आदेश की इत्तलावी खसरे में नहीं हो पाई और उसके वाद लिपिकीय त्रृटिवश चारागाह व गोठान शब्द लिख दिया गया। ''

तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 15–3–11 से स्पष्ट है कि आवेदक के स्वर्गीय पिता हीरामणि चतुर्वेदी के नाम वर्ष 1958–59 से वादग्रस्त भूमि गैर हकदार कृषक के रूप में शासकीय अभिलेख में अभिलिखित आ रही थीं एंव तहसीलदार प्रतिवेदन में स्वयं् स्वीकार करते हैं कि लिपिकीय त्रृटि से वर्ष 1998–99 में आवेदक के नाम गैर हकदार स्वत्व की भूमि का अंकन हटाया जाकर गोठान व चारागाह लिख दी गई है जिसे उप बंदोबस्त अधिकारी सीधी ने प्रकरण कमांक 192 अ–1/1998–99 में जॉच एंव सुनवाई कर वास्तविक स्थिति पाते हुये आदेश दिनांक 17–11–1999 से दुरूस्त कर आवेदक को संहिता की धारा 57(2) के अंतर्गत भूमिस्वामी के रूप में शासकीय अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये हैं जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि नहीं है। इसके बावजूद कलेक्टर सिंगरोली ने जानबूझकर तहसीलदार के प्रतिवेदन में आये तथ्यों को अनदेखा करते हुये आदेश दिनांक 7–5–12 से आवेदक के विरूद्व स्वमेव निगरानी दर्ज करने का निर्णय

लेने में त्रृटि की है जिसके कारण कलेक्टर सिंगराली व्दारा प्रकरण कमांक 285 अ–74/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 07–05–2012 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4/ प्रकरण में आये तथ्यों से निर्विवाद है कि उप बंदोबस्त अधिकारी सीधी के प्रकरण कमांक 192 अ–1/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 17–11–1999 का अमल शासकीय अभिलेख में किया जाना था, जो तहसीलदार व्दारा उपरोक्त पद 4 में की गई विवेचना अनुसार वास्तविक स्थिति सामने आने के वाद भी कार्यवाही नहीं की है जिसके कारण आवेदक को विभिन्न न्यायालयों में वर्ष 2011 से मुकदमेवाजी में उलझना पड़ा है तथा कलेक्टर सिंगरोली ने प्रकरण में आई वास्तविक स्थिति को अनदेखा करते हुये उपबंदोबस्त अधिकारी सीधी के आदेश दिनांक 17–11–1999 के विरूद्व अंतरिम आदेश दिनांक 7–5–2012 से अर्थात 12 वर्ष से अधिक समय वाद स्वमेव निगरानी दर्ज करने का निर्णय लेने में भूल की है। क्योंकि खतौनी वर्ष 1958–59 एंव खसरा वर्ष 1990–91 से 1998–99 में आवेदक का नाम गैर हकदार स्वत्व में दर्ज है जिसे उप बंदोबस्त अधिकारी सीधी ने प्रकरण कमांक 192 अ–1/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 17–11–1999 से शासकीय अभिलेख के अमल को दुरूस्त करने का निर्णय लिया है । उप बंदोबस्त अधिकारी सीधी ने प्रकरण कमांक 192 अ–1/1998–99 के अवलोकन पर उनके व्दारा की गई जॉच एंव प्रकिया में किसी प्रकार की कमवेशी नहीं पाई गई है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला सिंगरोली व्दारा प्रकरण कमांक 285 अ–74/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 07–05–2012 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार देवसर को आदेश दिये जांते हैं कि उप बंदोबस्त अधिकारी सीधी के प्रकरण कमांक 192 अ–1/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 17–11–1999 कम में ग्राम बरगवॉ की भूमि सर्वे कमांक 130 रकबा 2.00 हैक्टर एंव 287 रकबा 3.26 हैक्टर पर शासकीय अभिलेख में आवेदक के नाम की प्रविष्टि भूमिस्वामी के रूप में दर्ज करावें।

सदस्य